

प्रेषक,

एचओपी० सिंह
विशेष सचिव
उम्प० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभियान,
उम्प०, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी

उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मण्डिन वस्तियों में आसरा योजनान्तर्गत द्वितीय/अंतिम किशत की वित्तीय स्वीकृति।

नहोदर,

उपर्युक्त प्रियक आपके पत्र संख्या-579/76/एक/2013-14 दिनांक 19 मई, 2015 एवं संख्या-2145/76/एक/2013-14 दिनांक 21 अगस्त, 2015 के संदर्भ में गुह्ये गह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति बाहुल्य वस्तियों तथा नगरीय मण्डिन वस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 से निदेशक, सूडा के नियंत्रण पर रखी धनराशि से वित्तीय वर्ष 2013-14 में जनपद-सीतापुर की निकाय-छोरावाद की 42 आवासों की 01 परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-246/26-या०प०-14-36(आसरा-83)/2013 दिनांक 04.03.2014 द्वारा रु० 155.325 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहित परियोजना लागत का लगभग 50 प्रतिशत अर्थात् रु० 77.66 लाख ली वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। अतएव उक्त परियोजना के कार्यों को पूर्ण करने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में उक्त योजनान्तर्गत प्राविधिक बजट से निम्नलिखित तालिका से सतम्भ-7 में अंकित धनराशि रु० 77.665 लाख (रुपये सतहत्तर लाख छाँठ हजार पाँच सौ मात्र) की द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित रातों/प्रतिवर्षों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:- (धनराशि लाख रुपये में)

क्र०	जनपद/ सं० निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या	परियोजना की लागत	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों की आवासों की संख्या	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों हेतु परियोजना की कुल आवासीय लागत	द्वितीय/अंतिम किशत के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3		4	5	6
1	सीतापुर/ छोरावाद	84	310.65	42	155.325	77.665
योग				42	155.325	77.665


(रुपये सतहत्तर लाख छाँठ हजार पाँच सौ मात्र)

- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के सम्बन्ध में जारी दिशा-निदेश प्रियक शासनादेश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2014 एवं शासनादेश संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(गी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णस्पैष्ट अनुपालन शुल्कित करते हुए की जायेगी।
- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तापुस्तिका घण्ठ-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्रम स्तर से तकलीफी दीर्घनि भद्रश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्रम स्तर से तकलीफी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही काय प्रारम्भ किया जायेगा।

जीर्णोद्धरण/विरोधज्ञ/भौतिक, २१-

3. प्रायोजन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्रम लोकल अथरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समरत आवश्यक वैष्णविक आपतियां एवं पर्यावरणीय फ़िल्मयरेस प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजन का रचना एवं स्वीकृत प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिवर्त्यों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनान्तर्गत परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में दिनी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्य नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय निवमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कास्ट एस्केलेशन अनुमत्य नहीं होगा।
6. सुडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त व्यीकृत धनराशि आवश्यक परिवर्त्य के अन्तर्गत होने से एवं कार्यों की डिरावृति/पुनरायोगिता न हो इसे सुडा/इडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नदे कार्य द्वारा, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य पिशीहियों इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय गिराव समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इसी द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व दिसंतु डिज़ाइन/इंज़ेंग द्वारा समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस रिपोर्ट में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अत्यन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. सुडा/इडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
9. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभियान व सम्बन्धित इडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परियोजनाओं का सक्रम स्तरीय लिंगाकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्वस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित इडा/ठनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उपतानुसार सभी पहलुओं पर आश्वस्त हो लेंगे।
10. उक्त धनराशि का आहरण लिंगेशक, राज्य नगरीय विकास अभियान, 30प्र०, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नति कार्यक्रम विभाग के प्रतिरक्षणरोपरान्त किया जायेगा।
11. प्रत्येक आहरण की सूचना भवानीयाकार (राज्यपोष), भवानीयाकार (लेखा), 30प्र०, इलाहाबाद को आदेश की प्रति के साथ कोषगार का लाभ, वार्तार राज्य, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. स्वीकृत धनराशि कोषगार से भारतीय बैंक/ठनकर/ट्रिपार्टिट खाते व पी०एल००० में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषगार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नागत आहरण/भुगतान के गूर्हे व्यावरणीय केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत की कर्तौती सम्बन्धी अनिवार्य वित्तिक प्रतिकर्षा के आगामी का इयान रखा जायेगा।

13. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में यथा कलेन्डर आवश्य करा दिया जायेगा तथा धनराशि व्यवहार के पश्चात ३ सके सापेक्ष भौतिक प्रगति/गुणवत्ता एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को समय से उपलब्ध कराया जायेगा। विर्त्तिरित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एक-सुरक्ष शासन को वापस करनी होगी।
 14. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०४०, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का लिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करावेंगे।
 15. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुबन्ध (एम०३०००४०) लिप्पादित किये जाने हेतु सूटा द्वारा सम्बन्धित दृढ़ा को लिर्देशित किया जायेगा।
 16. स्कीकृत की जा रही धनराशि का व्यवहार योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस०३०००४०३००००/टी०४०३०००० हेतु विर्त्तिरित व्यवस्थानुसार केवल अनुसूचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरीवत धनराशि का व्यवहार चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-४३ के अन्तर्गत लेना शीर्षक "4216-आवास पर पूँजीगत परिवर्यय-आयोजनागत-०२-शहरी आवास-८९९-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-०३-आसरा योजना (आयासीय भवन)-२४ घृहद निर्माण कार्य।" के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश विभाग के कार्यालय जाप संख्या-२/२०१५/दो-१-९२५/दस-२०१५-२३१/२०१५, दिनांक ३०.०३.२०१५ व समय-समय पर जारी आदेशों के लक्ष्य किये जा रहे हैं।

अधीक्षी,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।

संख्या-२/१८/२०१५/२०१६(१)/६९-१-१५, तदिनांक।

प्रतिलिपि लिम्नालिपित को सूचनाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हक्कदारी), प्रयाग, ३०४०.२० सरोजनी नायड़ मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परिकल्पना विभाग, ३०४०, छठवां तल, संगम प्लेस, सिपिल लाइन, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्नयन कार्यक्रम विभाग, ३०४० शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभियान, सीतापुर।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-४, ३०४० शासन।
6. नियोजन अनुभाग-४, ३०४० शासन।
7. समाज कल्याण (वजट प्लॉट), कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, ३०४०, शासन।
8. नुख्य योषाधिकारी, जयहर भघन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभियान, ३०४०, लखनऊ।
10. सहायक देव मारटर, सूटा को विभागीय देवसाहूट पर अप्लोड कराने हेतु।
11. गांड काल/कम्प्यूटर सहायक/वजट समन्वयक।

आजा से,

 (एच०पी० सिंह)
 विशेष सचिव।